भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1676
13 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

कोल्ड चेन, भंडारण और फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी

1676 # श्री मनन कुमार मिश्रः
श्री सुभाष बरालाः
श्रीमती संगीता यादवः
डा. कल्पना सैनी:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:
श्रीमती किरण चौधरी:
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बाराः
श्री नारायण कोरागप्पाः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री बाबू राम निषादः
श्री चुन्नीलाल गरासियाः
श्री महाराजा संजाओबा लेशंबाः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी सहायता के अंतर्गत कितनी कोल्ड चेन तथा भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है;
(ख) ये सुविधाएँ बागवानी उत्पादक क्षेत्रों विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किस प्रकार संवितरित की जा रही हैं;
(ग) क्या कटाई उपरांत होने वाले नुकसान में कोई मापनीय कमी दर्ज की गई है;
(घ) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) अंतिम-मील कनेक्टिविटी के लिए राज्यों और निजी क्षेत्र के बीच विद्यमान समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(च) छोटे किसानों के लिए इन सुविधाओं की वहनीयता और पहुँच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) द्वारा लागू की जा रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना - एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन स्कीम) के अंतर्गत, 31.01.2026 तक, 302 कोल्ड चेन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे देश में 9.108 लाख मीट्रिक टन शीत भंडारण क्षमता का निर्माण हुआ है। पूरे देश में 302 पूरी हो चुकी कोल्ड चेन परियोजनाएं और उनसे जुड़ी भंडारण सुविधाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत, स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को सहायता नहीं दी जाती है। हालांकि, कोल्ड स्टोरेज बनाने में (i) कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफ़डबल्यू) के एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), (ii) बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोत्तर प्रबंधन के ज़रिए कमर्शियल बागवानी

का विकास और (iii) डीए एंड एफ़डबल्यू के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के बागवानी उत्पादों के कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

डीए एंड एफ़डबल्यू द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार, 31.01.2025 तक डीए एंड एफ़डबल्यू और एमओएफ़पीआई द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से पूरे देश में कुल 8760 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 397.08 एलएमटी है। इसका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समय-समय पर प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययन करवा कर देश में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए कटाई के बाद होने वाली हानि का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय कटाई-उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिफेट), 2015 जिसका संदर्भ वर्ष 2012-14 है और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबस्कोंस), 2022 जिसका संदर्भ वर्ष 2020-22 है,के माध्यम से दो अध्ययन करवाये गए । कटाई के बाद होने वाली हानि पर उपलब्ध अध्ययन आवधिक स्वरूप के हैं और वर्ष –वार अनुमान नहीं देते हैं।

इस तरह, इन दोनों अध्ययनों के नतीजों के मुताबिक, इन अध्ययनों में शामिल फसलों के लिए फसलोत्तर नुकसान में कमी देखी गई है। तदनुसार, भारत में अलग-अलग कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस तरह है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सिफेट अध्ययन (2015) के अनुसार	**नैबकॉन्स अध्ययन (2022) के अनुसार**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गी पालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

चूंकि आईसीएआर - सिफेट अध्ययन (2015) में राज्य-वार जानकारी शामिल नहीं की गई थी, इसलिए नैबस्कोंस अध्ययन (2022) में मूल्यांकन के अनुसार कटाई के बाद हुए नुकसान का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

कोल्ड चेन योजना के कार्यान्वयन से कृषि उपज/वस्तुओं की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, उनके प्रसंस्करण का स्तर बढ़ता है और इन्हें क्षेत्र की परवाह किए बिना देश भर के उपभोक्ताओं को साल भर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2025 में मेसर्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के माध्यम से "एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यसंवर्धन अवसंरचना योजना का प्रभाव मूल्यांकन" नामक एक अध्ययन कराया है , जिससे पता चला है कि (i) कोल्ड चेन सुविधाओं के अभाव में कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खराब हो जाता है (ii) कोल्ड चेन सुविधाएं किसानों और प्रसंस्करण-कर्ताओं को अधिक मात्रा में कृषि उपज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन करने में सहायता करती हैं और उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक फॉरवर्ड बाजार संपर्कों को सहायता देती हैं, और (iii) कोल्ड चेन प्रणाली भंडारण और वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करके उपज की गुणवत्ता बनाए रखने और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में भी मदद करती है।

(ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी किसी भी योजना के अंतर्गत स्वयं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति / केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रम / संयुक्त उद्यम / गैर सरकारी संगठन / सहकारी / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) / किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) / सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां / सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) / साझेदारी फर्म / स्वामित्व वाली फर्म जो कोल्ड चेन समाधानों में व्यावसायिक रुचि रखती है और साथ ही जो आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करते हैं, वे कोल्ड चेन योजना के लिए आवेदन करने और लाभ उठाने के पात्र हैं। संबंधित राज्य सरकार बिजली कनेक्शन, जल आपूर्ति, भवन योजना, स्थापित करने की सहमति (सीटीई), परियोजना के संचालन की सहमति (सीटीओ), इत्यादि के लिए वैधानिक अनुमोदन जारी करती है और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को सुविधा प्रदान करती है। जहां परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को इस प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां मंत्रालय प्रक्रिया को गति देने में सहायता के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों के साथ संपर्क करता है।

(च): एमओएफ़पीआई अपनी प्रचार गतिविधि योजना के माध्यम से , देश भर में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में आम जनता, जिसमें नए उद्यमी और किसान शामिल हैं, को जागरूक करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ़ूड मेले/प्रदर्शनी आयोजित करता है। कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत मंज़ूर कोल्ड चेन योजनाओं का विवरण , मंत्रालय की वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिससे किसानों को पास की कोल्ड चेन सुविधा तक पहुँचने और उनसे आसानी से फ़ायदा उठाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, किसानों वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी को कोल्ड चेन स्कीम के अंतर्गत कोल्ड चेन परियोजनाएं लगाने के लिए सब्सिडी पाने के लिए सामान्य क्षेत्रों के आवेदकों की तुलना में ये फ़ायदे दिए गए हैं:

(i) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में मांगी गई अनुदान-सहायता के 1.5 गुना के मुकाबले मांगी गई अनुदान-सहायता के बराबर निवल संपत्ति होगी ।

(ii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के कम से कम 20% के मुकाबले कुल परियोजना लागत के 10% कम से कम प्रमोटर इक्विटी डाली जाएगी।

(iii) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में कुल परियोजना लागत के कम से कम 20% के मुकाबले कुल परियोजना लागत के कम से कम 10% का सावधि ऋण प्राप्त करना होगा।

(iv) सामान्य क्षेत्र के आवेदक के मामले में पात्र परियोजना लागत के 35% के मुकाबले पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

अनुबंध- I

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर हेतु " कोल्ड चेन, भंडारण और फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

शीत श्रृंखला योजना के तहत अनुमोदित 302 पूर्ण शीत श्रृंखला परियोजनाओं और उनसे संबंधित भंडारण सुविधाओं का देश भर में वितरण:

क्रमांक	राज्य	पूर्ण हुई/ चालू परियोजनाएं	सृजित कोल्ड स्टोरेज की संख्या	कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन एलएमटी में
1	अंडमान और निकोबार	1	2	0.010
2	आंध्र प्रदेश	23	28	0.440
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.010
4	असम	2	4	0.081
5	बिहार	3	1	0.366
6	चंडीगढ़	0	0	0.00
7	छत्तीसगढ	2	3	0.085
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0.00
9	दिल्ली	0	0	0.00
10	गोवा	0	0	0.00
11	गुजरात	23	25	0.522
12	हरियाणा	18	28	0.547
13	हिमाचल प्रदेश	13	22	0.320
14	जम्मू और कश्मीर	5	5	0.053
15	झारखंड	0	0	0.00
16	कर्नाटक	14	19	0.288
17	केरल	4	5	0.417
18	लद्दाख	0	0	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	8	12	0.190
21	महाराष्ट्र	58	81	1.758
22	मणिपुर	1	5	0.029
23	मेघालय	0	0	0.00
24	मिजोरम	2	5	0.006
25	नागालैंड	1	3	0.010
26	ओडिशा	5	6	0.119
27	पांडिचेरी	0	0	0.00
28	पंजाब	21	39	0.566
29	राजस्थान	13	23	0.435
30	सिक्किम	0	0	0.00
31	तमिलनाडु	15	36	0.349
32	तेलंगाना	10	14	0.187
33	त्रिपुरा	0	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	20	38	0.622
35	उत्तराखंड	27	61	1.009
36	पश्चिम बंगाल	12	25	0.689
	कुल	**302**	**491**	**9.108**

अनुबंध- II

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर हेतु " कोल्ड चेन, भंडारण और फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

देश में 31.01.2025 तक राज्य-वार सृजित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं:

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (क्षमता मीट्रिक टन में) [2025 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार]
1	अंडमान और निकोबार	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परियोजनाओं की संख्या	सृजित कोल्ड स्टोरेज (क्षमता मीट्रिक टन में) [2025 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार]
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708360**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक , राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)

अनुबंध- III

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर हेतु " कोल्ड चेन, भंडारण और फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध.

नैबकॉन्स अध्ययन (2022) में आकलित किए गए फसलों/वस्तुओं के कटाई के बाद हुए नुकसान का क्षेत्र –वार विवरण

आंध्र प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	5.07
केला	9.33
काला चना	5.56
काजू	4.82
चना	5.71
मिर्च	7.06
साइट्रस	7.97
नारियल	4.32
कपास	3.03
अंडा	5.47
मूंग	6.17
मूंगफली	6.58
अंतर्देशीय मछली	4.68
मक्का	5.98
आम	7.9
समुद्री मछली	8.5
दूध	0.58
खरबूजा	7.42
धान	5.73
पपीता	6.58
अनार	8.69
पोल्ट्री मांस	7.39
ज्वार	5.67
टैपिओका	लागू नहीं
टमाटर	12.36
हल्दी	4.97

असम	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
पत्ता गोभी	7.38
अंडा	6.05
मांस	3.44
मशरूम	4.48
धान	6.07
अनानास	7.11
पोल्ट्री मांस	6.61
मूली	5.14

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सुपारी	6.44
नारियल	4.25

बिहार	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
लौकी	7.35
बैंगन	7.52
पत्ता गोभी	8.7
फूलगोभी	6.76
मूंग	6.06
अमरूद	15.36
अंतर्देशीय मछली	5.99
मक्का	5.83
आम	10.1
भिंडी	6.27
धान	4.65
अनानास	5.89
आलू	6.11
मूली	5.11
गन्ना	8.99
सूरजमुखी	5.18

छत्तीसगढ	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
लौकी	6.77
अमरूद	13.79
धान	3.92
मूली	6.66

गुजरात	
उत्पाद	कुल योग
मूंग	5.85
बाजरा	4.41
टमाटर	10.97
कपास	2.93
मूंगफली	5.31
भिंडी	5.79
चीकू	7.47
पत्ता गोभी	8.39
फूलगोभी	7.99
दूध	0.5
प्याज	7.57
सरसों	4.38
आलू	5.18
गेहूँ	5.18
मक्का	5.18
फलियाँ	6.65
बैंगन	6.99
केला	7.59
काला चना	4.8
पपीता	5.81
धान	4.54
अरहर	4.27

हरियाणा	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
बाजरा	3.77
चना	5.66
कपास	2.55
अंडा	6.74
मांस	2.88
दूध	0.74
मशरूम	5.91
सरसों	4.52
पोल्ट्री मांस	4.63
मूली	7.51
गन्ना	6.34
सूरजमुखी	4.44
गेहूँ	4.37

हिमाचल प्रदेश	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
सेब	9.2
शिमला मिर्च	5.74
हरी मटर	6.35
मशरूम	6.01
गेहूँ	3.32
मक्का	2.27

झारखंड	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
पपीता	6.73

जम्मू और कश्मीर	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
सेब	9.51
अंडा	6.08
मक्का	3.92

केरल	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
सुपारी	4.01
काली मिर्च	1.26
काजू	3.07
नारियल	3.61
अंडा	5.53
समुद्री मछली	8.75
मांस	2.2
पोल्ट्री मांस	5.32
टैपिओका	4.8

कर्नाटक	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
सुपारी	4.15
बाजरा	5.03
फलियाँ	7.33
काली मिर्च	1.31
शिमला मिर्च	5.75
काजू	3.17
नारियल	3.78
अंडा	5.64
अंगूर	8.02
अंतर्देशीय मछली	4.82
मक्का	4.41
समुद्री मछली	8.97
प्याज	8.7
अरहर	4.57
अनानास	3.73
अनार	8.19
कुसुम	3.1
ज्वार	5.69
सोयाबीन	6.63
गन्ना	4.84
सूरजमुखी	4.22
टमाटर	9.97
हल्दी	4.63

मध्य प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.53
काला चना	6.73
लौकी	7.46
शिमला मिर्च	4.33
फूलगोभी	6.46
चना	5.85
मिर्च	6.29
साइट्रस	7.4
धनिया	6.01
अंडा	6.33
हरी मटर	6.27
मूंगफली	6.11
अमरूद	14.93
मक्का	6.3
दूध	0.53
खरबूजा	5.76
सरसों	4.86
भिंडी	5.84
प्याज	8.11
धान	4.2
अरहर	6.43
आलू	7
ज्वार	6.76
सोयाबीन	7.36
टमाटर	11.85
गेहूँ	4.94

महाराष्ट्र	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.21
केला	6.06
काला चना	7.48
चना	5.4
साइट्रस	8.79
कपास	2.98
अंडे	5.55
अंगूर	6.73
मूंग	5.9
मूंगफली	6.16
मक्का	5.3
आम	8.61
समुद्री मछली	8.8
मांस	2.78
दूध	0.65
मशरूम	9.24
प्याज	6.78
धान	4.44
अरहर	6.9
अनार	6.02
पोल्ट्री मांस	4.78
कुसुम	3.02
ज्वार	6.16
सोयाबीन	8.84
गन्ना	8.61
सूरजमुखी	4.93

मेघालय	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
टैपिओका	4.99
हल्दी	5.64
काजू	4.53

नागालैंड	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
टैपिओका	5.42

ओडिशा	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
लौकी	7.57
बैंगन	7.3
पत्ता गोभी	8.08
फूलगोभी	7.65
चना	6.09
अंडा	6.63
मूंग	6.11
अंतर्देशीय मछली	5.68
समुद्री मछली	9.89
मशरूम	13.64
भिंडी	6.25
धान	4.17
टमाटर	13.19

पंजाब	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
शिमला मिर्च	4.31
साइट्रस	5.4
हरी मटर	6.67
मक्का	6.91
दूध	0.63
मशरूम	6.7
खरबूजा	5.48
धान	3.15
आलू	5.57
गन्ना	4.38
गेहूँ	4.55

राजस्थान	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	5.03
काला चना	5.74
चना	5.83
धनिया	5.7
कपास	2.53
ग्रीनग्राम	6.21
मूंगफली	5.03
मक्का	5.81
दूध	1.35
सरसों	4.75
ज्वार	6.01
सोयाबीन	6.54
गेहूँ	6.25

तमिलनाडु	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
केला	7.47
फलियाँ	7.82
काला चना	5.93
अंडा	6.6
मूंगफली	5.31
मक्का	4.39
समुद्री मछली	9.14
मांस	3.04
मशरूम	11.03
धान	5.98
पोल्ट्री मांस	6.08
ज्वार	6.29
गन्ना	8.65

तेलंगाना	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
मिर्च	6.06
साइट्रस	7.73
कपास	3.04
अंडा	5.36
मूंग	6.24
मूंगफली	6.67
मक्का	6.51
मांस	1.61
अरहर	5.01
पोल्ट्री मांस	8.12

उत्तराखंड	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सेब	11.5
दूध	1.16
धान	2.87
गन्ना	5.46
गेहूँ	2.51

उत्तर प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.11
काला चना	6.11
लौकी	6.43
अंडा	6.06
हरी मटर	6.34
अंतर्देशीय मछली	4.99
मक्का	5.77
मांस	2.8
दूध	1.12
मशरूम	2.74
खरबूजा	7.25
सरसों	5.97
धान	4
आलू	5.82
पोल्ट्री मांस	7.24
गन्ना	6.91
गेहूँ	6.36

पश्चिम बंगाल	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
फलियाँ	5.48
बैंगन	7.85
पत्ता गोभी	8.71
फूलगोभी	7.26
अंडे	7.07
मूंग	6.24
मूंगफली	7.24
अमरूद	15.86
अंतर्देशीय मछली	3.79
मक्का	5.42
समुद्री मछली	8.94
मांस	2.41
दूध	1.09
सरसों	6.21
भिंडी	6.05
धान	5.14
अनानास	5.66
आलू	5.71
पोल्ट्री मांस	5.41
मूली	6.45
सूरजमुखी	5.21
गेहूँ	6.13